तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **मेघा वगैरह बनाम कृष्ण वगैरह, मुकदमा संख्या :– 274/2014**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए
27.01.2025	अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि सरहद मौजा सुरावा, पटवार हल्का–सुरावा में मुझ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की पुश्तैनी पैतृक संपति वर्तमान खेत खसरा नंबर 243 रकबा 3.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 244 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 246 रकबा 3.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 247 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 252 रकबा 3.99 हैक्टेयर जुमले रकबा 14.95 हैक्टेयर की आई हुई है। नकल जमाबंदी संलग्न प्रार्थना–पत्र साथ पेश है। उक्त नवीन खसरा नंबर 243, 244, 245, 246, 247, 248, 252 जो पुराने खसरा नंबर 62मी, रकबा 92 बीघा 08 बिस्वा से दौराने सेटलमेंट सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नवसृजित किए गये है। नकल मिलान क्षैत्रफल संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी पुराने खेत खसरा नंबर 62 रकबा 92 बीघा 08 बिस्वा वक्त प्रथम सेटलमेंट में मुझ प्रार्थी के दादा श्री माधा वल्द गमना, कोम–भील के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। नकल प्रथम मिसल बंदोबस्त संलग्न प्रार्थना–पत्र पेश है। वादग्रस्त आराजी वक्त प्रथम सेटलमेंट में मुझ प्रार्थी के दादा श्री माधा के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उनके निर्वसीयति फौत होने पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार उनकी समस्त संपति में मेरे पिता श्री सोनाजी का एवं उनके फौत होने के पश्चात मेरा हक हिस्सा बनता है। जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला मुझ प्रार्थी के पक्ष में बनता है तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर पूर्व में मेरे पिता व वर्तमान में मै प्रार्थी काश्त करता हुं तथा मेने मेरे बंट व कब्जाकाश्त की भूमि को खाद वगैरह डालकर समतल, उपयोगी व उपजाउ बनाया है जिससे सुविधा का संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है तथा अगर मुझे बिना किसी विधिपूर्ण प्रक्रिया के मुझ प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जा काश्त की संपति से जबरन डण्डे के बल पर बेदखल कर दिया गया तो मुझे अपूरणीय क्षति होगी, जिसका आंकलन दृवय में किया जाना मुमकिन नहीं होगा। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों आधारभूत सिद्वान्त प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मुझ प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वांके मौजा ग्राम सुरावा के खेत खसरा संख्या 243 रकबा 3.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 244 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 245 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नंबर 246 रकबा 3.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 247 रकबा 3.80 हैक्टेयर, खसरा नंबर 248 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 252 रकबा 3.99 हैक्टेयर जुमले रकबा 14.95 हैक्टेयर में इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण [illegible] वाद अप्रार्थीगण मेरे कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दख[illegible] तो स्वयं करने एवं न ही किसी अन्य से [illegible] का बेचान, रहन, गिरवी, बख्शीश या किसी प्रकार [illegible] करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का [illegible] करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन एव आधारहीन होने से खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरणा व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्टेट
(फा[illegible]) [illegible]

स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 3 से 9 वादग्रस्त आराजी का विक्रय या किसी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करें। अप्रार्थीगण सभी मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.03.18 16:03:58 IST
Reason: SelfAttested